न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
मिसल न0– 14 / 2022
अनवान :–

1. महावीर पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. क्षेत्रिय वन अधिकारी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायलान

निर्णय दिनांक : 01/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 76 / 75 की कुल 5.6725 हैक्ट भूमि सायल के नाम व रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 149 / 149 की कुल 24.5300 हैक्ट भूमि आरक्षित वन विभाग जोहड़ पायतन के नाम दर्ज भूमि है।

सायल को अपनी कृषि भूमि ख0न0 361 / 359 व ख0न0 364 / 360 की भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। सायल अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अपने गांव ललाना बास नथवानियां तहसील नोहर से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता पक्की सड़क से होते हुए आरक्षित वन विभाग की भूमि रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 149 / 149 के खसरा नं. 116 के मिन मध्य की 2 गट्ठा चोड़ा (उत्तर से दक्षिण) रास्ता में से होते हुए अपने खेत के खसरा नं. 361 / 359 व खसरा नं. 364 / 360 में प्रवेश करता है और यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सायल को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। यह सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। सायल अपनी कृषि भूमि को कन्वर्ट करवाने व अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता से जुड़ी होनी आवश्यक है। रास्ता सदामत से चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा भूलवश चालु रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने से रह गया है जिस कारण से सायल के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है इसलिए सायल राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 149 / 149 के खसरा नं. 116 मिन मध्य की 2 गट्ठा चोड़ा (उत्तर से दक्षिण) रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर व रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन / नोटिस तलब किया गया। ... जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा वन विभाग की भूमि में से रास्ता ... गया है। उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त रास्ता चालु नही है एवं वन विभाग, जोहड़ पायतन की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आदेश जारी किये गये है एवं वन विभाग व जोहड़ पायतन की भूमि का किसी के पक्ष में कोई पटटा व आवंटन नही करने बाबत भी निर्देशित किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 76/75 की कुल 5.6725 हैक्ट भूमि सायल के नाम व रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 149/149 की कुल 24.5300 हैक्ट भूमि आरक्षित वन विभाग जोहड़ पायतन के नाम दर्ज भूमि है। सायल द्वारा रोही मौजा ललाना बास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 149/149 के खसरा नं. 116 मिन मध्य की 2 गट्ठा चोड़ा (उत्तर से दक्षिण) रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विभाग जोहड़ पायतन के नाम दर्ज है। वन विभाग की भूमि में रास्ता हेतु वन विभाग से डाईवर्जन स्वीकृत करवाने के उपरान्त ही रास्ता दिया उचित है क्योंकि वन विभाग केंद्र सरकार के अधिनस्थ है एवं उन्ही के नियमों के अनुसार डाइवर्जन करवाने के उपरान्त ही रास्ता प्राप्त कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वन विभाग की भूमि को तोड़कर कोई रास्ता दिये जाने का प्रावधान नही है। अतः उपरोक्त विवेचास्वरूप सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:59:00 IST
Reason: SelfAttested